न्यायालय संभागीय आयुक्त जयपुर

अपील जीसीएमएस संख्या 2024/383

1. महेन्द्र कुमार पुत्र सरवण उम्र 42 वर्ष जाति बलाई निवासी ग्राम श्रीकिशनपुरा तहसील सांगानेर जिला जयपुर।
2. बीला देवी पत्नि स्व0 बद्रीनारायण उम्र 90 वर्ष जाति बलाई निवासी ग्राम श्रीकिशनपुरा तहसील सांगानेर जिला जयपुर।

–अपीलांट्स

बनाम

1. भौरी देवी पत्नि स्व0 भौरीलाल जाति बलाई निवासी ग्राम रामनगरिया, तहसील सांगानेर जिला जयपुर।
2. तहसीलदार सांगानेर पता तहसील सांगानेर जिला जयपुर।

–रेस्पोडेन्ट्स

उपस्थित–

1. श्री विजय कुमार शर्मा वकील अपीलान्ट
2. श्री अरूण कुमार गोयल, प्रवीण शर्मा वकील रेस्पोडेन्ट संख्या 1 की ओर से।
3. राजकीय अधिवक्ता रेस्पो0 संख्या 2 की ओर से।

अपील जीसीएमएस संख्या 2024/380

1. भौरी देवी पुत्री स्वर्गीय श्री बद्री पत्नि स्व0 श्री भौरीलाल जाति बलाई निवासी ग्राम श्रीकिशनपुरा, तहसील सांगानेर जिला जयपुर हाल निवासी ग्राम रामनगरिया, तहसील सांगानेर जिला जयपुर राज0।

–अपीलांट

संभागीय आयुक्त
जयपुर

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार तहसील सांगानेर जिला जयपुर राज0।
2. महेन्द्र कुमार पुत्र सरवण उम्र 42 वर्ष जाति बलाई निवासी ग्राम श्रीकिशनपुरा तहसील सांगानेर जिला जयपुर राज0।
3. बीला देवी पत्नि स्व0 बद्री उम्र जाति बलाई निवासी ग्राम श्रीकिशनपुरा तहसील सांगानेर जिला जयपुर राज0।

–रेस्पोडेन्ट्स

अपील अर्न्तगत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 विरूद्ध न्यायालय तहसीलदार सांगानेर जिला जयपुर दिनांक 06.08.2024 प्रकरण संख्या 34/2023 अंतर्गत धारा 135(2)

उपस्थित–

1. श्री अरूण कुमार गोयल, प्रवीण शर्मा वकील अपीलान्ट।
2. श्री विजय कुमार शर्मा वकील रेस्पोडेन्ट संख्या 2 व 3 की ओर से।
3. राजकीय अधिवक्ता रेस्पो0 संख्या 1 की ओर से।

निर्णय

दिनांक–25.08.2025

1. यह दोनों अपीलें राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 75 के अन्तर्गत तहसीलदार सांगानेर जिला जयपुर के निर्णय दिनांक 06.08.2024 के खिलाफ प्रस्तुत हुई है। दोनों प्रकरणों में विवादित आराजी, विषयवस्तु समान होने से दोनों पत्रावलियों का निस्तारण एक ही निर्णय से किया जा रहा है। निर्णय की प्रति प्रत्येक पत्रावली में रखी जावे।

2. तहसीलदार सांगानेर जिला जयपुर के उक्त निर्णय दिनांक 06.08.2024 से व्यथित होकर अपीलान्ट द्वारा यह अपील प्रस्तुत कर अपील स्वीकार करने एवं अपीलाधीन आदेश तहसीलदार सांगानेर जिला जयपुर के निर्णय दिनांक 06.08.2024 को निरस्त कर स्व0 बद्री नारायण का हिस्सा 1/2 का वसीयत अनुसार सम्पूर्ण हिस्से का नामान्तरकरण अपीलार्थी संख्या 1 महेन्द्र कुमार पुत्र सरवण के नाम खोले जाने के आदेश फरमाने की प्रार्थना की।

3. अपीलें प्रस्तुत होने पर रेस्पोंडेन्ट्स की तलबी की गई। अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड तलब किया गया । उभयपक्ष के योग्य अधिवक्ताओं की बहस सुनी गई ।

4. अपीलांट महेन्द्र कुमार के योग्य अधिवक्ता ने लिखित बहस प्रस्तुत कर बहस के दौरान अपील मीमो में अंकित तथ्यों को दौहराते हुये मुख्य रूप से कथन किया कि अपीलार्थी संख्या 1 द्वारा तहसीलदार सांगानेर के समक्ष ग्राम पंचायत विधाणी में ग्राम श्रीकिशनपुरा स्थित भूमि खसरा नम्बर 492 रकबा 0.03 हैक्टयर, खसरा नम्बर 493 रकबा 1.50 हैक्टयर कुल किता 2 कुल रकबा 1.53 हैक्टयर में मृतक खातेदार बद्री हिस्सा 1/2 का नामान्तरकरण दिनांक 05.04.2017 को नामान्तरकरण संख्या 296 अपीलार्थी संख्या 1 के पक्ष में तस्दीक किया गया। उक्त नामान्तकरण के विरूद्ध उपखण्ड अधिकारी जयपुर दक्षिण के समक्ष अपील संख्या 59/19 रेस्पोडेन्ट क्रम 1 भौरी देवी के द्वारा प्रस्तुत की गयी जो खारिज कर दी गयी। इससे व्यथित होकर श्रीमान संभागीय आयुक्त के समक्ष भौरी देवी ने अपील संख्या 326/19 प्रस्तुत की जिसमें न्यायालय संभागीय आयुक्त द्वारा दिनांक 24.02.2021 को अपील खारिज कर दी गयी जिसकी राजस्व मण्डल के

संभागीय आयुक्त
जयपुर

समक्ष भौरी देवी के द्वारा निगरानी संख्या 2627/21 प्रस्तुत प्रस्तुत की जिसमें दिनांक 27–10–2023 को माननीय राजस्व मण्डल अजमेर द्वारा इस निर्देश के साथ प्रकरण प्रतिप्रेषित कर दिया कि राजस्थान भू राजस्व अधि0 1956 की धारा–135(2) के अन्तर्गत कार्यवाही कर प्रकरण का विधिसम्मत रूप से निष्तारण करें। जिस पर न्यायालय तहसीलदार सांगानेर द्वारा दिनांक 6–8–2024 को खसरा नम्बर 492 रकबा 0.03 हैक्टयर, खसरा नम्बर 493 रकबा 1.50 हैक्टयर कुल किता 2 कुल रकबा 1.53 हैक्टयर में विरासत के आधार पर हिस्सा 1/3 भूमि का नामान्तरण अपीलार्थी संख्या 2 बीला देवी पत्नि बद्रीनारायण एवं 1/3 का नामान्तरण रेस्पो0 संख्या 1 भौरी देवी एवं व 1/3 भूमि वसीयतग्रहिता महेन्द्र कुमार के पक्ष में नामान्तरण खोलेजाने के आदेश दिये गये।

वकील अपीलांट ने कथन किया कि ग्राम श्रीकिशनपुरा तहसील सांगानेर में स्थित भूमि आराजीयत खसरा नम्बर 492 रकबा 0.03 हैक्टयर, खसरा नम्बर 493 रकबा 1.50 हैक्टयर कुल किता 2 कुल रकबा 1.53 हैक्टयर भूमि में हिस्सा 1/2 बद्री जी का था जो महेन्द्र के ताऊ व बीला देवी के पति है । बद्री जी द्वारा दिनांक 10–04–2014 को पत्नि बीला देवी व पुत्र रामस्वरूप की सहमति से अपनी उपरोक्त भूमि का वसीयतनामा महेन्द्र के पक्ष में उपपंजीयक सांगानेर प्रथम के समक्ष गवाहान के समक्ष निष्पादित कर पंजीबद्ध करवा दिया जो पुस्तक संख्या –3 जिल्द संख्या–11 में पृष्ठ संख्या–171 क्रम संख्या–2014067000035 पर पंजीबद्ध किया गया तथा अतिरिक्त पुस्तक संख्या–3 जिल्द संख्या–32 के पृष्ठ संख्या–9 से 14 पर चस्पा किया गया। बद्री जी का दिनांक 14–01–2017 को स्वर्गवास हो गया। बद्री जी वसीयत के करीब 3 वर्ष की अवधि के पश्चात स्वर्गवास कर गये। वसीयत नियमानुसार गहेन्द्र के पक्ष में निष्पादित की गयी व स्व० बद्री के एक मात्र पुत्र रामस्वरूप व पत्नि बीला देवी पूर्णरूप से सहमत रही। भौरी देवी द्धारा बदनियति से महेन्द्र की सम्पत्ति में विघ्न करने व अनुचित लाभ प्राप्त करने की मंशा से अपर सिविल जज कम 17 जयपुर महानगर प्रथम सांगानेर के समक्ष वाद संख्या–77/17 एक वाद दिनांक 15–03–17 को वसीयतनामा दिनांकित 10–04–17 को शून्य घोषित करने का प्रस्तुत किया कि स्व० बद्री की एक मात्र जाईन्दा वारिस स्वंय भौरी देवी ही है व ब्रदी का और कोई वारिस नही है। जबकि वसीयतनामा में स्वंय रामस्वरूप पुत्र बद्री गवाह है। भौरी देवी स्व0 बद्री के एकमात्र वारिस जीवित पुत्र रामस्वरूप के होने की बात हर जगह झुठलायी है। सिविल न्यायालय के समक्ष वसीयत निरस्त करने के वाद में भी यह बात छिपायी जिसमें न्यायालय द्वारा दिनांक 19–05–2017 को अपने आदेश द्वारा रामस्वरूप को उस वाद में बद्री के पुत्र की हैसियत से प्रतिवादीक्रम 3 के तौर पर पक्षकार बनाया। रामस्वरूप का सम्पूर्ण स्कूल रिकार्ड, परिचय पत्र

संभागीय आयुक्त
जयपुर

आदि पिता बद्री के नाम से है । रामस्वरूप की आठवी की अंकतालिका, नवमीं क्लास की अंकतालिका है, दसवीं का प्रमाण पत्र, माध्यम शिक्षा बोर्ड अजमेर का चरित्र प्रमाण पत्र, परिवार राशन कार्ड वर्ष 1998, परिवार राशन कार्ड वर्ष 2000 परिवार राशन कार्ड द्वारा जारी सरपंच ग्राम पंचायत विधाणी वर्ष 2002. रामस्वरूप का आधार कार्ड है। स्व० बद्रीनारायण के फूल गंगाजी लेकर सोरोजी रामस्वरूप, माता बीला देवी स्वयं गये जिसका पंडा सोरो जी का पोथीपन्ना है। भौरी देवी द्वारा नामान्तरण की कार्यवाही में बदनियति से अडंगा लगाया गया जबकि दूर–दूर तक मिन अपीलार्थीक्रम 1, बद्री जी, बीला देवी अपीलार्थीक्रम 2 व उनके परिवार से भौरी देवी का कोई लेना–देना, कोई सम्बन्ध नही है। गंगागुरू सोरोजी द्वारा दिनांक 05–06–17 को सजरा खानदान दिया गया है जिस अनुसार स्व0 बद्री के वारिस पत्नि बीला देवी व पुत्र रामस्वरूप है तथा भौरी देवी स्व0 बद्री की पुत्री नही है। भौरी देवी द्वारा न्यायालय मुख्य महानगर मजि० क्रम 15 चाकसू के समक्ष अपने डी एन ऐ के लिये प्रार्थना पत्र लगाया गया जो चाकसू न्यायालय द्वारा दिनांक 13–09–2021 को खारिज कर दिया गया। इसी प्रकार वसीयत शून्य के वाद में सिविल न्यायालय कम 17 जयपुर महानगर के समक्ष डी एन ऐ का आवेदन लगाया जो आवेदन दिनांक 24–02–2022 को माननीय न्यायालय द्वारा खारिज फरमा दिया गया जिसके विरूद्ध माननीय उच्च न्यायालय राजस्थान से भी कोई रिलीफ भौरी देवी को प्राप्त नही हुई।

अतः उक्त अराजीयात का नामान्तरण खुलवाने का एकमात्र अधिकारी महेन्द्र है जिसके पक्ष में दिनांक 10–04–14 को स्व0 बद्री द्वारा वसीयत की गयी। भौरी देवी इस प्रकार बदनियत है कि बद्री के जीवित पुत्र व पत्नि को बाईपास करते हुये स्वंय के नाम से नामान्तरण खुलाना चाहती है व इसी क्रम में लगातार मुकदमेबाजी करती रही है। वसीयत शून्य घोषित करने का वाद न्यायालय अपर सिविल जज कम 17 जयपुर महानगर प्रथम सांगानेर के समक्ष लम्बित है व आज तक वसीयत अपनी जगह न्यायालय में स्टेण्ड कर रही है जो प्रकरण साक्ष्य वादिया में चल रहा है। वसीयत शून्य न्यायालय द्वारा नही की गयी है अपितु सिविल न्यायालय, फौजदारी न्यायालय व माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा कोई अनुतोष वसीयत के विरूद्ध आज तक भौरी देवी को नही दिया गया है। ऐसी स्थिति में वसीयत के आधार पर नामान्तरण खुलवाने का अधिकारी एक मात्र रूप से महेन्द्र है व वसीयत शून्य करने के सम्बन्ध में कोई डिकी सिविल न्यायालय द्वारा भौरी देवी के पक्ष में जारी नही की गयी है व भौरी देवी द्वारा दीवानी न्यायालय में वसीयत शून्य घोषित करने के वाद में भौरी देवी द्वारा बद्री की सम्पत्ति में 1/2 का मालिक व स्वामी घोषित करने का अनुतोष चांहा है जो न्यायालय द्वारा अनुमत नही किया गया। सिविल न्यायालय द्वारा

संभागीय आयुक्त
जयपुर

दिनांक 21–10–2019 को टी. आई. प्रार्थना पत्र इस विश्लेषण के साथ खारिज कर दिया गया कि भौरी देवी स्व0 बद्री व बीला देवी की पुत्री नही है। भौरी देवी द्वारा उपखण्ड अधिकारी जयपुर दक्षिण के समक्ष वाद घोषणा व स्थायी निषेधाज्ञा संख्या–133/2022 इस आशय का प्रस्तुत किया कि भूमि खसरा नम्बर–492, 493 में 1/2 हिस्सा राजस्व रिकार्ड इन्द्राज कराने का आदेश दिया जावे जिस वाद को उपखण्ड अधिकारी द्वारा दिनांक 27–10–2023 के आदेश द्वारा धारा–10 सी पी सी के तहत रोक दिया गया क्योकि वसीयत शून्य घोषित करने का दीवानी वाद निर्णीत नही हुआ है। अधीनस्थ न्यायालय ने दिनांक 6–8–2024 को जो निर्णय पारित किया उसमें भौरी देवी को स्व० बद्री की पुत्री कयास के आधार पर मान लिया व रामस्वरूप जो स्व० बद्री का लडका है, उसे सम्पूर्ण निर्णय में कहीं भी रामस्वरूप को बद्री का पुत्र होने का विवेचन नही किया जबकि स्वंय रामस्वरूप द्वारा न्यायालय की कार्यवाही के दौरान शपथ पत्र स्वंय का प्रस्तुत किया गया कि मैं अकेला वारिस स्व० बद्री का हूँ व भौरी देवी स्व० बद्री व बीला देवी की पुत्री नही है। अधीनस्थ न्यायालय को राजस्व मण्डल द्वारा इस आदेश के साथ मामला रिमाण्ड किया गया था कि वह सम्पूर्ण रूप से जांच करें मगर अधीनस्थ न्यायालय ने रामस्वरूप से कोई सवाल–जवाब नही किये। स्व0 बद्री द्वारा दिनांक 10–4–2014 को मेरी व पुत्र रामस्वरूप की सहमति से वसीयत महेन्द्र के पक्ष में करी थी। स्व० बद्री की दिनांक 14–1–2017 को मृत्यू हुयी जिसमें मुखाग्नि रामस्वरूप द्वारा दी गयी। गवाहान में कैलाश, रूपचन्द, पवन के शपथ पत्र प्रस्तुत किये मगर अधीनस्थ न्यायालय ने उनके सम्बन्ध में कोई जांच नही की। अधीनस्थ न्यायालय ने प्रकरण साक्ष्य हेतु मुकर्रर किया हुआ था मगर बिना साक्ष्य लिये ही प्रकरण का निष्तारण कर दिया व ना ही अधीनस्थ न्यायालय ने प्रकरण पर दोनो पक्षकारो की बहस सुनी। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश तहसीलदार सांगानेर जिला जयपुर के निर्णय दिनांक 06.08.2024 को निरस्त कर स्व0 बद्री नारायण का हिस्सा 1/2 का वसीयत अनुसार सम्पूर्ण हिस्से का नामान्तरकरण अपीलार्थी संख्या 1 महेन्द्र कुमार पुत्र सरवण के नाम खोले जाने के आदेश फरमाने की प्रार्थना की।

संभागीय आयुक्त
जयपुर

5. रेस्पोडेण्ट भौरी देवी के योग्य अधिवक्ता ने लिखित बहस प्रस्तुत कर अपील का विरोध करते हुये मुख्य रूप से कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष तथाकथित वसीयत दिनांक 10/04/2014 के बाबत प्रार्थीया द्वारा न्यायालय में वाद विचारण हेतु लम्बित रहने का तथ्य दस्तावेजी साक्ष्य से साबित करने के पश्चात् और अपीलाधीन निर्णय में इस दीवानी प्रकरण संख्या –77/2017 का उल्लेख होने और यह प्रकरण न्यायालय अपील सिविल जज, क्रम–17, जयपुर

महानगर–प्रथम, सांगानेर में विचाराधीन होने के पश्चात् भी फर्जी एवम् कूटरिचत वसीयत बाबत् जिस भाँति वसीयत आधार पर महेन्द्र कुमार का हिस्सा 1/3 भूमि में होना निर्णित किया है, वह पूर्णतया विधि विरूद्ध है। माननीय अधीनस्थ न्यायालय को वसीयत की विश्वसनीयता संदिग्ध होने और दीवानी न्यायालय में प्रकरण विचाराधीन होने के पश्चात् भी वसीयत के आधार पर तथाकथित रूप से हिस्सा 1/3 महेन्द्र कुमार के पक्ष में रहने का निर्णय करने का कोई कानूनी अधिकार नहीं था। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष तथाकथित वसीयत दिनांक 10/04/2014 के फर्जी व कूटरचित बनाये जाने बाबत् दस्तावेजी साक्ष्य प्रार्थीया ने माननीय अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किये और यह तथाकथित वसीयत जिसमें स्वर्गीय खातेदारी बद्री को भूमि पर खातेदारी अधिकार स्वःअर्जित भूमि से प्राप्त होने का उल्लेख आया है, के बाबत् प्रार्थीया ने यह दस्तावेजी प्रमाण पेश किया कि खसरा नम्बर 492 व 493 में बद्री को हिस्सा भूमि पैतृक रूप से विरासत में मिली थी, जो उसकी स्वः अर्जित सम्पत्ति नहीं थी और उक्त वसीयत गलत व मनगढंत रूप से बद्री के अनपढ़ होने व ग्रामीण परिवेश का होने का फायदा उठाकर बद्री को अपने प्रभाव में लेकर बिना उसकी सहमति के जिस भांति तथाकथित वसीयत बनवाकर उसे रजिस्ट्रर्ड कराया गया उसके पश्चात् भी माननीय अधीनस्थ न्यायालय ने दीवानी न्यायालय में विचाराधीन प्रकरण के निस्तारण से पूर्व ही जिस भांति अपीलाधीन निर्णय में हिस्सा 1/3 भूमि को वसीयत के आधार पर महेन्द्र कुमार के हक में होना पाया है, वह पूर्णतः विधि विरूद्ध निर्णय होने से अपास्त योग्य है। स्वर्गीय बद्री की पत्नी बीला देवी जो वृद्ध, अनपढ़ महिला है और बद्री एवम् बीला देवी के एकमात्र सन्तान प्रार्थीया के रूप में उत्पन्न हुई, जिसका ग्राम रामनगरिया में रहने वाले भौंरी लाल के साथ बद्री एवम् बीला देवी ने वर्षों पूर्व ही विवाह कर दिया था एवम् बद्री के सगे भाई सरवण की पत्नी, जो कि बीला देवी की सगी बहिन है, के साथ बीला देवी के रहने का फायदा उठाकर सरवण के पुत्र महेन्द्र और रामस्वरूप ने धोखाधडी पूर्ण आचरण से प्रार्थीया को उसके पैतृक खातेदारी अधिकार से वंचित करने के आशय से तथाकथित वसीयत दिनांक 10/04/2014 बनायी गई, जिस बाबत् दीवानी न्यायालय में प्रकरण विचाराधीन है और महेन्द्र एवम् रामस्वरूप के विरूद्ध फर्जी वसीयत बनाने बाबत् फौजदारी न्यायालय में फौजदारी प्रकरण न्यायालय महानगर मजिस्ट्रेट, कम–15, चाकसू में लम्बित है, इस पश्चात् भी जिस भांति अपीलीय निर्णय में महेन्द्र का हिस्सा 1/3 वसीयत अनुसार माना गया है, वह पूर्णतः मनमाना, परवर्स आरबीट्री निर्णय है, जो अपास्त किये जाने योग्य है । स्वर्गीय बद्री के मात्र दो विधिक वारिस प्रार्थीया भौंरी देवी पुत्री रूप में व अप्रार्थी संख्या –3 बीला देवी पत्नी के रूप में होने से खसरा नम्बर 492, 493 रकबा 1.53

संभागीय आयुक्त
जयपुर

हैक्टेयर भूमि का आधा–आधा हिस्सा यानि 1/2–1/2 हिस्सा का ही नामान्तकरण खोलने का निर्णय पारित किया जाना विधि सम्मत था, लेकिन अविधिक ढंग से जिस भांति अप्रार्थी संख्या 2 महेन्द्र बाबत् वसीयत आधार पर हिस्सा 1/3 होना निर्णित किया गया है, वह किसी भी प्रकार कानून सम्मत नहीं है और अपास्त योग्य है। अतः तहसीलदार जी आज्ञा दिनांक 06.08.2024 को निरस्त कर प्रार्थीया भौंरी देवी एवम् बीला देवी के हक में हिस्सा 1/2–1/2 खातेदारी का विरासत नामान्तकरण खोले जाने के आदेश फरमावें।

6. हमने प्रकरण का अवलोकन किया। प्रकरण के तथ्यों व दस्तावेजी साक्ष्यों पर विचार किया एवं उभयपक्ष के योग्य अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया। पत्रावली के अवलोकन से जाहिर होता है कि ग्राम पंचायत विधाणी द्वारा ग्राम श्रीकिशनपुरा में स्थित भूमि खसरा नम्बर 492 रकबा 0.03 हैक्टयर, खसरा नम्बर 493 रकबा 1.50 हैक्टयर कुल किता 2 कुल रकबा 1.53 हैक्टयर के मृतक खातेदार बद्री के हिस्सा 1/2 का नामान्तरकरण संख्या 296 दिनांक 05.04.2017 को रजिस्ट्रर्ड वसीयत दिनांक 10.04.2014 के आधार पर अपीलार्थी संख्या 1 के पक्ष में तस्दीक किया गया। माननीय राजस्व मण्डल राज0 अजमेर द्वारा प्रकरण तहसीलदार सांगानेर को राजस्थान भू राजस्व अधिनियम की धारा 135(2) के तहत् कार्यवाही कर विधिसम्मत रूप से निष्तारण करने हेतु प्रतिप्रेषित किया गया जिस पर तहसीलदार सांगानेर द्वारा पटवारी हल्का विधाणी की मौका रिपोर्ट दिनांक 22.07.2024 को ही आधार मानकर प्रश्नगत आराजी का हिस्सा 1/3 भूमि का नामान्तरकरण अपीलार्थी संख्या 2 बीला देवी पत्नि बद्रीनारायण एवं 1/3 का नामान्तरकरण रेस्पो0 संख्या 1 भौरी देवी एवं 1/3 भूमि वसीयतग्रहिता महेन्द्र कुमार के पक्ष में नामान्तरकरण खोले जाने के आदेश दिनांक 06.08.2024 दिये गये। इस संबंध में हमारा विनम्र मत है कि भौरी देवी ने वसीयतनामा दिनांकित 10.04.2014 को शून्य घोषित करने हेतु माननीय अपर सिविल जज क्रम–17 जयपुर महानगर प्रथम सांगानेर के समक्ष एक वाद संख्या 77/17 दिनांक 15.03.2017 को प्रस्तुत किया। जो कि विचाराधीन है। भौरी देवी द्वारा न्यायालय उपखण्ड अधिकारी जयपुर शहर दक्षिण में घोषणा एवं स्थाई निषेधाज्ञा का एक वाद संख्या 133/2022 उनवानी भौरी देवी बनाम महेन्द्र व अन्य प्रस्तुत किया जिसमें न्यायालय द्वारा माननीय अपर सिविल जज क्रम–17 जयपुर महानगर प्रथम सांगानेर में लम्बित वाद के निस्तारण होने तक वाद की कार्यवाही को रोके जाने के आदेश दिनांक 27.10.2023 को दिये गये हैं। ऐसी स्थिति में उक्त रजिस्ट्रर्ड वसीयत दिनांक 10.04.2014 को किसी भी सक्षम न्यायालय द्वारा अवैध या प्रभावशून्य घोषित नहीं किया गया है। उक्त वसीयत आदिनांक अपनी जगह

संभागीय आयुक्त
जयपुर

स्टेण्ड कर रही है। कानूनन जब तक उक्त रजिस्ट्रर्ड वसीयत को सक्षम सिविल न्यायालय से निरस्त नहीं कराया जाता तब तक विरासत के माध्यम से अनुतोष प्रदान किया जाना उचित एवं न्यायसंगत नहीं समझते हैं। ऐसी स्थिति में तहसीलदार सांगानेर द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश उचित एवं विधिसम्मत नहीं होने से निरस्त किये जाने योग्य है।

अतः आदेश है कि: अपील संख्या 2024/380 उनवान भौरी देवी बनाम राज्य सरकार व अन्य खारिज की जाती है। अपील संख्या 2024/383 उनवान महेन्द्र कुमार व अन्य बनाम भौरी देवी स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार सांगानेर जिला जयपुर का अपीलाधीन निर्णय दिनांक 06.08.2024 निरस्त किया जाता है तथा तहसीलदार सांगानेर को निर्देशित किया जाता है कि विवादग्रस्त आराजी का नामान्तरकरण रजिस्ट्रर्ड वसीयत दिनांक 10.04.2014 के आधार पर पूर्व स्थिति अनुसार वसीयतगृहिता महेन्द्र कुमार पुत्र सरवण के पक्ष में दर्ज किया जावे।

(पूनम)
संभागीय आयुक्त
जयपुर

संभागीय आयुक्त
जयपुर

निर्णय आज दिनांक 25.08.2025 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

संभागीय आयुक्त,
जयपुर।

संभागीय आयुक्त
जयपुर